

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL
BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 414 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Suraj Bali

Applicant

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Reply Affidavit of District Magistrate Meerut in compliance of order dated 14.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure R-1:</u> A copy of NOC dated 27.03.2003.	
3.	<u>Annexure R-2:</u> A copy of office order dated 19.12.2025.	
4.	<u>Annexure R-3:</u> A copy of report dated 21.02.2026.	
5.	<u>Annexure R-4:</u> A copy of letter dated 10.03.2026.	
6.	<u>Annexure R-5</u> A copy of proposal dated 19.03.2026.	

7.	<u>Annexure R-6(Colly)</u> Copies of letter dated 21.03.2026.	
8.	<u>Annexure R-7</u> A copy of complaint dated 20.01.2026.	

DATED: - 01.04.2026

Ankit Verma

THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF UP

A-15 FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI- 110013

MOB:- 09990804440

[Email-ankit.scngtup@gmail.com](mailto:ankit.scngtup@gmail.com)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL**BENCH, NEW DELHI****IN****ORIGINAL APPLICATION NO. 414 OF 2025****IN THE MATTER OF:****Suraj Bali**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

**REPL AFFIDAVIT OF DISTRICT MAGISTRATE MEERUT IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 14.08.2025 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**



The Respondent No 3 herein states as under

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

I, Dr Vijay Kumar Singh aged about 54 years, S/o Late Shri Parmanand Singh presently posted as District Meerut Magistrate Uttar Pradesh, the deponent, do hereby solemnly state and affirm

as under:-

1. That I am the above-mentioned officer of answering Respondent No. 3 and is duly competent to file the present affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That the deponent is posted as District Magistrate Meerut, since 18.01.2025 and is swearing this reply affidavit in his official capacity.
5. That the instant Original Application has been filed by the applicant raising grievance about Hapudia Leather Processing Society (Respondent No. 6) situated at Village Dungar, Vikash Khand Rohta, District Meerut, which is involved in leather processing and is operating in violation of environmental norms.



6. That this Hon'ble Tribunal vide it's order dated 14.08.2025 was pleased to issue the following directions:-

4 ".....Issue notice to the respondents. Applicant is directed to serve the respondents and file affidavit of

[Handwritten signature]

service at least one week before the next date of hearing....."

7. That the present reply affidavit is being filed in respectful compliance of the order dated 14.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

8. That to bring home certain facts it is most respectfully submitted that the people of Doongar Village have been doing work of tanning of leather as a legacy for decades together to run their livelihood. For establishment of Hapudia Leather Processing Society (Respondent No. 6) an application dated 23.09.2002 was submitted by the persons of Self Help Group through District Rural Development Agency to the Uttar Pradesh Pollution Control Board for grant of No Objection Certificate.

9. That considering the aforesaid application submitted through District Rural Development Agency, the Uttar Pradesh Pollution Control Board granted conditional NOC to the society vide Letter

14049/C-3/NOC/20/2003 dated 27.03.2003. A copy of NOC

dated 27.03.2003 granted by the Uttar Pradesh Pollution Control

Board is annexed herewith and marked as **Annexure R-1.**


10. That in respectful compliance of the order dated 14.08.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the deponent herein vide his office order no. 1574/PCB /2025 dated 19.12.2025 constituted



[Handwritten signature]

a joint inspection committee comprising of four members - Additional District Magistrate Meerut, Superintendent of Police Meerut, Project Director District Rural Development Agency Meerut and Regional Officer Uttar Pradesh Pollution Control Board Meerut and directed them to ensure compliance of closure order dated 22.03.2013 and directions laid down in letter dated 04.11.2025 issued by the Chairman Uttar Pradesh Pollution Control Board and submit a report to the office of the deponent on 12.01.2026. A copy of office order dated 19.12.2025 is annexed herewith and marked as **Annexure R-2.**

11. That the another committee under the chairmanship of Chief Development Officer, Meerut inspected the Hapudia Leather Processing Society (Respondent No. 6) herein after referred to as society on 02.02.2026 wherein it was observed that at the society approximately hundred and fifty families are working, who belong to the schedule tribe community and are from the weaker section of the society. It was further observed by the joint committee that for treatment of the effluents which are being discharged (approximately 12-15 KLD) from the society, construction of Effluent Treatment Plant (ETP) is necessary for achieving prescribed standards for discharge. A copy of report dated 21.02.2026 submitted by the Regional Officer; UPPCB Meerut is annexed herewith and marked as **Annexure R-3.**



(Handwritten signature)

12. That it is further submitted that the deponent herein vide his office letter no 2007/G/O.A.414/2025 IMRT/2026 directed the Executive Engineer UP Jal Nigam (Urban) to prepare a detail project report (DPR) with regards to construction of ETP, availability of land, project cost and construction time and submit a report to Chief Development Officer Meerut. A copy of letter dated 10.03.2026 is annexed herewith and marked as annexed herewith and marked as **Annexure R-4**.
13. That the Executive Engineer Construction Division UP Jal Nigam (Urban) submitted a proposal on 19.03.2026 to the Chief Development Officer Meerut for construction of Effluent Treatment Plant (ETP) for the society. A copy of proposal dated 19.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R-5**
14. That on the basis of the proposal dated 19.03.2026 received from the Executive Engineer Construction Division UP Jal Nigam (Urban) the deponent further addressed letters dated 21.03.2026 to the Principal Secretary Rural Development and Additional Chief Secretary Environment, Forest and Climate Change Department Government of Uttar Pradesh seeking appropriate funds of Rupees Two Crores Ten Lakhs for construction of ETP. A copy of letters dated 21.03.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R-6 (Colly)**.





A handwritten signature in purple ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke at the top and a diagonal stroke extending to the right.

15. That at this juncture it is further submitted that Secretary of the Respondent No.6 Society sent a complaint to the Commissioner Meerut Division, District Meerut dated 20.01.2026 wherein it has been submitted that they are being exploited and abused by some anti-social elements of the society and has requested the Commissioner to take appropriate action on the complaint dated 20.01.2026 and further safeguard the interest of the persons working in the society. A copy of complaint dated 20.01.2026 is annexed herewith and marked as **Annexure R-7.**

16. That the deponent most respectfully submits before this Hon'ble Tribunal that all earnest efforts will be undertaken to ensure the environmental norms are not violated by the society and will further ensure that the construction of ETP commences immediately on receiving appropriate funds from the State Government.

17. That in the interest of justice, the present reply affidavit by the deponent may be taken on record by this Hon'ble Tribunal, in the interest of justice.



DEPONENT



Verification

I, the deponent above named do hereby verify and state that the contents of the foregoing paragraphs of the above application are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

On this 30th day of March, 2026.



[Signature]
DEPONENT



Certified that Shri Dr. Vijay Kumar Sgh.
Resident of St. Lute Parmenand Sgh
Identified by posted ad District registration
Swore the contents of this affidavit
oath before me.....

ATTESTED
[Signature]
NOTARY 30/3/26



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

"पिकप भवन" तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति एण्ड
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ सं०

F14049

सी-३/एन.ओ.सी./२०/२००३

दिनांक

२७-३-०३

सेवा में

में०

स्वयं सहायता समूह

ग्राम-डूंगर

द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

विश्वराम भवन, मेरठ।

पिप्रा ग्राम्य विकास अभिकरण

मेरठ

31-3-03

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से/नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विरतार/संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गमन।

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक १६.९.२००३ में
किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण
समान्य शर्तों (सलगनक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वी.

आवेदन पर विचार
विशिष्ट शर्तों एवं

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत है



स्थल खसग नं.-६३० एवं ६३१

ग्राम-मूठ खास, ब्लॉक रोहय,

मनफद-मेरठ।

उत्पादन

वेजेटिविल चर्म शोधन प्रक्रिया-५००० किग्रा/दिन.

(तत्कालीन उष्णीकरण हेतु)

Shakir Husain

Handwritten signature in blue ink.

(ग) मुख्य कच्चे माल : हाइड्रस-५००० किग्रा./दिन

(घ) औद्योगिक उत्प्रेषण की मात्रा : १४० किलो./दिन

(ङ) प्रयुक्त ईंधन

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

- उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, सयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
- उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तय तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर ले। जल एवं वायु सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अलग-अलग जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक विधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
- उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

घरेलू उत्प्रेषण जिसकी मात्रा ८ किलो./दिन से अधिक नहीं होगी।

सैलिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक _____ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।



[Handwritten signature in blue ink]

(3)

कृपया ध्यान दे कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक.....तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सुदरसा सचिव

प्रमाणित है

/ एन०३००सी

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1

2

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

3

तकनीकी अधिकारी/पर्यावरण अभियन्ता (वायु)/उपकर अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

4

सहाय्य अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सर्किल-३)



Handwritten signature in blue ink.

(३)

७. परीक्षण उत्पादन के पूर्व बोर्ड से जल सहमति, वायु सहमति व परिसंकटमय नियम के अन्तर्गत प्राधिकार प्राप्त करना अनिवार्य है एवं परीक्षण उत्पादन के पूर्व परीक्षण बोर्ड से परीक्षण उत्पादन के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है।
८. खसरा सं.-६३० व ६३१ में ही समस्त चर्मशोधन इकाईयों कार्य करेंगी व खसरा सं.-४०० व ५०० में ही कोई चर्मशोधन इकाई कार्य नहीं करेगी।
९. किसी इकाई द्वारा वेटब्लू हाइड उत्पादन अथवा क्रोम टेनिंग का कार्य नहीं किया जाएगा।
१०. इकाईयों व सामूहिक उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन हेतु एक समिति का गठन कर लिया जाए, जिसके द्वारा संयंत्र का रख-रखाव व संचालन नियमित रूप से किया जाएगा ताकि उत्प्राह निर्धारित मानको के अनुरूप ही निस्तारित किया जाये।
११. शुद्धिकृत उत्प्राह सड़क के किनारे निर्माणधीन बन्द नाली द्वारा आजमपुर नाले में किया जायेगा, नाले में बिना बाध के बहाव बना रहें।
१२. उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र के स्लज को कम्पोस्ट बनाने हेतु प्रयोग किया जायेगा, यदि कोई अवशेष सरेस के उत्पादन हेतु विक्रय किया जाता है तो वह बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त इकाईयों को ही विक्रय किया जायेगा व विक्रय का पूर्ण विवरण बोर्ड में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
१३. सामूहिक उत्प्राह शुद्धिकरण संयंत्र के परिसर के चारों ओर अधिकाधिक वृक्षरोपण किया जायेगा व पूरे चर्मशोधन क्षेत्र के चारों ओर भी अधिकाधिक वृक्षरोपण किया जायेगा।
१४. किसी प्रकार की ब्यायलर की स्थापना की अनुमति नहीं है।
१५. उद्योग से जनित अवशेष पदार्थों का हथलन व निस्तारण बोर्ड की अनुमति प्राप्त कर इस प्रकार किया जाये कि पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
उपरोक्त कार्य का अनुपालन न किये जाने पर बैंक गारण्टी जब्त कर ली जाएगी, जिसे सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आप स्वयं का होगा।



कार्यालय आदेश

मै0 हापुडिया लेदर प्रोसेसिंग सोसाइटी (पूर्व नाम मै0 स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान) डूंगर, रोहटा द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण के विरुद्ध उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एफ20991/सी-3/एनओसी-20/ मेरठ/बन्दी/13 दिनांक-22/03/2013 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 33ए के अंतर्गत जारी बंदी आदेश/निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में पत्रांक-एच 34202/सी-3/ ओ0ए0-414/2025 दिनांक-04/11/2025 के माध्यम से अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि "मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ग्राम डूंगर ब्लाक रोहटा जनपद मेरठ में किये जा रहे चर्मशोधन के संबंध में योजित ओ0ए0 संख्या-414/2025 सूरज बली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-14/08/2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा किये गये निरीक्षण में समूह के सदस्यों द्वारा स्थल पर चर्मशोधन का कार्य किये जाने से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित नहीं है तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक-22/03/2013 का उल्लंघन करते हुये संचालित है। अतः उक्त बंदी आदेश दिनांक-22/03/2013 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।" मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश के अनुपालन में अनुसचिव, राजस्व अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन लखनऊ का पत्रांक-1715/एक-9-2025 दिनांक-22/09/2025 के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करते हुये समयान्तर्गत शपथ पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल करने तथा दाखिल किये गये शपथ पत्र से शासन को अवगत कराने हेतु पत्र जारी किया गया है।

उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक-22/03/2013 द्वारा जारी बंदी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी पत्र दिनांक-04/11/2025 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में मै0 हापुडिया लेदर प्रोसेसिंग सोसाइटी (पूर्व नाम मै0 स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान) डूंगर, रोहटा द्वारा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अभिकरण पर संचालित चर्मशोधन इकाइयों को बंद कराये जाने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाती है-

1. अपर जिलाधिकारी-नगर, मेरठ।
2. पुलिस अधीक्षक-नगर, मेरठ।
3. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।

उक्त आदेश का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित कराते हुये अनुपालन आख्या उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उ0प्र0 शासन को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि-

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर जिलाधिकारी-नगर, मेरठ को अनुपालन हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक-नगर, मेरठ को अनुपालन हेतु।
4. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ को अनुपालन हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को अनुपालन हेतु।

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।



मै0 हापुड़िया लेदर प्रोसेसिंग सोसायटी (पूर्व नाम मै0 स्वयं सहायता समूह चर्म शोधन संस्थान) ग्राम-डूंगर, रोहटा, मेरठ के सम्बन्ध में आख्या।

जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के कार्यालय आदेश दिनांक-19.12.2025 के द्वारा अपर जिलाधिकारी-नगर, मेरठ की अध्यक्षता में, मै0 हापुड़िया लेदर प्रोसेसिंग सोसायटी (पूर्व नाम मै0 स्वयं सहायता समूह चर्म शोधन संस्थान) ग्राम डूंगर, विकास खण्ड रोहटा, जनपद मेरठ को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2013 को जारी बन्दी आदेश का अनुपालन कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है।


उक्त के अनुपालन हेतु आज दिनांक 12.01.2026 को उपरोक्तानुसार गठित टीम द्वारा संयुक्त रूप से इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया गया। परिसर में लगभग 150 परिवारों द्वारा पक्के टैंक/पिट में चर्म शोधन का कार्य किया जाना पाया गया। उक्त कार्य हेतु बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है तथा कोई मशीनरी स्थापित नहीं है, जिसके कारण स्थल पर कार्य अवरुद्ध कराने हेतु विद्युत विच्छेदन व सीलिंग कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधियों को आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

स्थल पर कार्य करने वाले लगभग 150 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर व अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है। उनके जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है। यदि मौके पर चर्मशोधन कार्य को बन्द कराया जाता है तो कानून व शान्ति व्यवस्था प्रभावित हो सकती हैं। अतः चर्मशोधन कार्य से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु अन्य स्थायी विकल्पों (ई0टी0पी0 की स्थापना आदि) पर भी विचार किया जाना उचित होगा ताकि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लगभग 150 परिवारों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न न हो तथा कानून व शान्ति व्यवस्था की भी स्थिति भी प्रभावित न हो।



सहा.पर्या.अभियन्ता,
प्रदूषण नियंत्रण
बोर्ड मेरठ।


परियोजना निदेशक,
डीआरडीए, मेरठ।


पुलिस अधीक्षक,
नगर, मेरठ।


अपर जिलाधिकारी-नगर,
मेरठ।





1995

030/KD.PCB

निरीक्षण रिपोर्टजिलाधिकारी/जिला नजिस्ट्रेट
मेरठ 23/3/06


निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम : श्रीमती नूपुर गोयल,
पदनाम : मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
निरीक्षण स्थल : ग्राम डूंगर विकास खण्ड रोहटा में स्थित चर्मशोधन इकाईयों,
से निकलने वाले उत्प्राह की स्थिति तथा ग्राम-आजमपुर में स्थित
तालाब का निरीक्षण
निरीक्षण दिनांक : 02-02-2026

दिनांक 02 फरवरी, 2026 को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ के निर्देशों के क्रम में ग्राम डूंगर विकास खण्ड रोहटा में स्थित चर्मशोधन इकाईयों, इकाईयों से निकलने वाले उत्प्राह की स्थिति तथा ग्राम- आजमपुर स्थित तालाब का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ, श्री वीरेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे।

आख्या/दिवरण निम्नवत् हैं-

चर्मशोधन परिसर:-

निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परिसर की स्थापना हेतु स्वयं सहायता समूह, डूंगर द्वारा जिला ग्राम विकास अभिकरण द्वारा वर्ष-2002 में चर्मशोधन इकाईयों की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र/एन०ओ०सी० प्राप्त कर किया गया था। अनापत्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव में उपयुक्त ई०टी०पी०, निस्तारण ड्रेन की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित किया गया था। वर्ष- 2011 में परियोजना से प्रदूषण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के क्रम में अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अवगत कराया गया कि परियोजना के पूर्ण होने पर प्रदूषण की समस्या का समाधान हो जायेगा। प्रदूषण सम्बन्धी समस्या का निस्तारण न होने की स्थिति में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा जल (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33(ए) के अन्तर्गत ग्राम- डूंगर स्थित स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान द्वारा जिला ग्राम विकास अभिकरण के विरुद्ध बन्दी आदेश दिनांक-22.03.2013 जारी किया गया।



निरीक्षण के समय स्थल पर चर्मशोधन का कार्य किया जा रहा है। चर्मशोधन इकाईयों से जनित उत्प्राह के शोधन हेतु परिसर में ई०टी०पी० स्थापित नहीं है। परिसर का रख-रखाव भी सन्तोषजनक नहीं पाया गया। परिसर से जनित प्रदूषित उत्प्राह परियोजना हेतु बिछाई गई पाइप लाईन के माध्यम से ड्रेन में निस्तारित होता पाया गया, तथा उक्त ड्रेन ग्राम-आजमपुर स्थित तालाब में मिलती पायी गयी।

मौके पर चर्मशोधन संस्थान से जनित उत्प्राह के शुद्धिकरण हेतु ई०टी०पी० प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु परामर्शी अभियंता श्री राहुल कुमार को निर्देशित किया गया। चर्मशोधन इकाईयों द्वारा इकाईयों के बाहर चमड़ा सूखाने, गन्दगी करने व ग्राम में सड़कों के किनारे गोबर का ढेर लगाये जाने पर उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में कुछ डेयरी संचालकों द्वारा गोबर सड़क किनारे डाल दिया जाता है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सचिव को इकाईयों द्वारा सड़क किनारे चमड़ा सूखाने को बन्द


(कार्यवाही-क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला पंचायत राज अधिकारी)

ग्राम- आजमपुर स्थित तालाब:-

ग्राम-डुंगर स्थित चर्मशोधन इकाईयों से निकलने वाले उत्प्रवाह ड्रेन के माध्यम से ग्राम- आजमपुर स्थित तालाब में मिलता है। तालाब में जलीय पौधे उपलब्ध पाये गये। तालाब के किनारे साफ-सफाई सन्तोषजनक नहीं पायी गयी। तालाब के प्रदूषण के सम्बन्ध में प्रायः किसान दिवस में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। ग्राम-आजमपुर में स्थित तालाब के दूसरे सिरे पर पक्की ड्रेन निर्मित है, जो कि गाँव के बाहर जाती है।

मौके पर तालाब में इकाईयों के गन्दे पानी को भिखने से रोकने हेतु नाली के निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया। तालाब के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण हेतु उक्त तालाब को प्रस्तावित करने के निर्देश दिये गये। मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत सचिव को आगामी कार्ययोजना में अन्तरेष्टि स्थल बनाये जाने के निर्देश दिये गये। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं उपस्थित परामर्शी अभियन्ता को गाँव के बाहर जाने वाली नाली के उपरान्त प्रवाह को अन्तिम निस्तारण हेतु सर्वेक्षण किये जाने निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिला पंचायत राज अधिकारी)



(नूपुर गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मेरठ

- पत्रांक 1232/एस०टी०-सीडीओ/निरीक्षण/2025-26 दिनांक- 04, फरवरी, 2026
- प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।
- 01- जिलाधिकारी, महोदय, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
 - 02- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
 - 03- जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ।
 - 04- खण्ड विकास अधिकारी, रोहटा (मेरठ)।

(नूपुर गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ।





क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट-जब-3/2, पल्लवपुरम फेज-ए, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 1932/G/10.A-414/2025/MAT/2026

दिनांक- 21-02-24

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय
मेरठ।

विषय: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की विशेष परियोजना के अंतर्गत ग्राम डूंगर विकासखण्ड रोहटा जिला मेरठ में स्थापित/संचालित स्वयं सहायता समूह नामक चर्मशोधन परिसर से चर्मशोधन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह की समस्या के निराकरण हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) स्थापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवासी ग्राम पूठखास विकासखण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ0प्र0 (मो0नं0-9758924496) द्वारा मै0 हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक- 31/07/2025 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-14.08.2025 के अनुपालन में उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक-24/10/2025 को किया गया तथा अध्यक्ष, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से शपथ पत्र मा0अधिकरण में दिनांक-10/11/2025 को दाखिल किया गया। अध्यक्ष, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच34202/सी-3/ओ0ए0नं0414/2025 दिनांक-04/11/2025 द्वारा इकाई के विरुद्ध जारी बंदी आदेश दिनांक-22/03/2013 का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र दिनांक-19/12/2025 द्वारा उक्त समूह/इकाई को बंद कराये जाने हेतु जिलास्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन किया गया।

मै0 हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ द्वारा मंडल आयुक्त महोदय, मेरठ मण्डल, मेरठ को संबोधित पत्र दिनांक-20/01/2026 द्वारा कुटीर उद्योग को बचाये जाने हेतु दिये गये अनुरोध पत्र तथा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक-22/03/2013 का अनुपालन कराये जाने के क्रम में दिनांक-02/02/2026 को मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को संदर्भित समूह/इकाई का निरीक्षण कर समाधान कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ के साथ दिनांक-02/02/2026 को किया गया। प्रदूषित उत्प्रवाह बंद एवं खुली नाली के माध्यम से आजमपुर स्थित तालाब में मिलता पाया गया। इकाई स्थल पर चर्मशोधन प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु कोई व्यवस्था स्थापित/संचालित नहीं पायी गयी।

अवगत कराना है कि उक्त स्थल पर लगभग 150 परिवार कार्य करते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। जनपद में इस प्रकृति के कार्य करने वालों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा संरक्षित किये जाने पर बल दिया जाता है।


उपरोक्त के आलोक में महोदय को अवगत कराना है कि ग्राम डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ में उक्त परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से संचालित मै0 हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी के माध्यम से किये जा रहे चर्मशोधन कार्य से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चर्मशोधन इकाइयों हेतु निर्धारित जल प्रदूषणकारी प्रचालक/मानक के अनुरूप शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई0टी0पी0) की स्थापना किया जाना नितांत आवश्यक है जिससे कि पर्यावरणीय अधिनियम तथा मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित हो सके।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



Handwritten signature and mark.

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ

Moff
Urgeel

पत्रांक- 2007/G/O.A.414/2025/MRT/2026

दिनांक- 10-03-26

अधिकासी अभियंता,
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),
मेरठ।

विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक- 05.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवासी ग्राम पूठखास विकासखण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ०प्र० (मो०नं०-9758924496) द्वारा मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक- 31/07/2025 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक- 05.02.2026 (आदेश की छायाप्रति संलग्न) द्वारा मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी (पूर्व नाम मै० स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान), डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के विरुद्ध उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी बंदी आदेश दिनांक-22/03/2013 के बावजूद संचालित होने तथा उक्त संस्था द्वारा पर्यावरणीय/प्रदूषण अधिनियमों का अनुपालन नहीं किये जाने के अनुक्रम में दिनांक-02/04/2026 को नियत सुनवाई की तिथि में स्पष्टीकरण दिये जाने हेतु आदेशित किया गया है। बाद में अगली सुनवाई दिनांक-02/04/2026 नियत है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक-05.02.2026 के अनुपालन में मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी (पूर्व नाम मै० स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान), डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से निकलने वाले प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु योजना एवं समयबद्ध प्रस्ताव तैयार किया जाना है।

उपरोक्त के क्रम में मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी (पूर्व नाम मै० स्वयं सहायता समूह चर्मशोधन संस्थान), डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ से निकलने वाले उत्प्रवाह को पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चर्मशोधन इकाइयों हेतु निर्धारित जल प्रदूषणकारी प्रचालक/मानक के अनुरूप शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) स्थापित किये जाने हेतु डी०पी०आर०/प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिजाइन डिटेल्स, ई०टी०पी० हेतु वांछित भूमि की आवश्यकता, ई०टी०पी० स्थापित होने में प्रस्तावित व्यय एवं निर्माण हेतु निर्धारित समय का समावेश करते हुये) तैयार कर मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

H
05/03/26
(डा० वी०के० सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ

प्रतिलिपि-

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), मेरठ को इस निर्देश के साथ कि शासकीय स्थायी अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली श्री अंकित वर्मा(मो०नं०-9990804440 Email-ankit.scngtup@gmail.com) से संपर्क कर निर्धारित समयावधि में रिस्पांस दाखिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. उपजिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ, मेरठ।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ।

H
05/03/26
जिलाधिकारी, मेरठ

etc on





E.mail Id- urbanworkiimeerut@yahoo.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मेरठ
220, सिविल लाईन्स, मेरठ-250001

पत्रांक 153 /

विविध सामान्य / 21

दिनांक 19.03.2026

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ।

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में वाद सं० O-A- No- 414/2025 Suraj Bali vs State of Uttar Pradesh & Ors- में पारित आदेश दिनांक 05.02.2026 के अनुपालन में हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा, जनपद मेरठ से उत्पन्न अपशिष्ट जल के शोधन हेतु ई०टी०पी० स्थापना के संबंध में प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रेषित किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी, मेरठ के पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संबंधित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत उपलब्ध अभिलेखों, उपलब्ध तथ्यों एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे सुझाव स्वरूप आपके अवलोकन एवं आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मोहित वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।


प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ।
2. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।

अधिशासी अभियन्ता

CO/AEE
20/3/2026

→



PROPOSAL FOR ESTABLISHMENT OF EFFLUENT TREATMENT PLANT (ETP) FOR HAPURIYA PROCESSING LEATHER SOCIETY, DUNGER, ROHTA, DISTRICT MEERUT, IN COMPLIANCE WITH HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL ORDER DATED 05.02.2026 IN O.A. NO. 414/2025 (SURAJ BALI VS STATE OF UTTAR PRADESH & OTHERS)

Proposed establishment of a 50 KLD Effluent Treatment Plant (ETP) for treatment of wastewater generated from traditional leather processing units, to ensure compliance with environmental norms and prevention of pollution. The proposed Effluent Treatment Plant (ETP) aims to ensure compliance with discharge standards prescribed by CPCB and UPPCB, thereby facilitating environmentally safe disposal of treated wastewater. The project is intended to significantly reduce pollution load generated from leather processing activities and mitigate adverse impacts on surrounding land and water bodies.

Technology Proposed- Biological treatment using MBBR technology followed by tertiary filtration (Pressure Sand Filter and Activated Carbon Filter) for effective removal of BOD, COD, TSS, sulphides and tannins.

Land Requirement:- Approx. 1000 sq. m. land is required for installation of treatment units including equalisation tank, aeration tank, clarifiers, sludge drying beds, and provision of utilities, internal roads and operational space for maintenance and movement.

Time Requirement:- The total implementation period is estimated to be approximately 15 months, covering stages such as preliminary survey, approvals, detailed design, tendering, civil construction, installation of mechanical and electrical systems, and commissioning of the ETP.

Cost Requirement:- The estimated project cost is approximately ₹2.10 Crore, which includes civil construction of treatment units, procurement and installation of mechanical equipment (MBBR system, pumps, blowers, filters), electrical systems, instrumentation, and engineering/design expenses.

This proposal is based on preliminary data and standard design assumptions, with input data made available by the Pollution Control Board. The final parameters including cost, land and time requirements shall be confirmed after detailed survey, wastewater sampling and detailed engineering design. Minor variations may occur at the stage of detailed estimation. However, the present proposal broadly covers all key requirements and aspects and may be treated as a suggestive proposal.


EXECUTIVE ENGINEER
UP JAL NIGAM URBAN
MEERUT



**Proposed Effluent Treatment Plant (ETP) for Traditional Leather Processing Cluster
District Meerut, Uttar Pradesh**

1. Proposal Background

Leather processing activities are being carried out by a cluster of approximately 1-13 members of a traditional leather processing society located in the rural areas of District Meerut, Uttar Pradesh. The member units are engaged in the traditional tanning and processing of animal hides and skins, primarily using natural tannin extracts obtained from acacia (babool) bark, along with associated operations such as liming, washing, bleaching and drying.

The processing of raw animal hides involves multiple sequential stages including soaking, liming, dehairing, tanning, washing and finishing. Since the raw material consists of biological animal products, the wastewater generated from these operations contains significant quantities of biodegradable organic matter, suspended solids, sulphides, tanning residues and natural fats released from hides and skins.

As per the information compiled from field observations and records available with the concerned departments, the member units of the cluster collectively process approximately 1,800-2,000 animal hides per week. The wastewater generated from these activities arises from various stages of hide treatment including washing, liming, tanning and finishing operations.

Based on assessment of the cluster, the total wastewater generation is presently estimated to be approximately 30-35 KLD. At present, the wastewater is conveyed through local drainage channels after limited settling.

It is pertinent to mention that the data regarding wastewater generation, number of hides processed and characteristics of tannery effluent have been compiled on the basis of information provided by the office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Rural Development Agency (DRDA) during the course of technical assessment of the cluster.

In view of environmental concerns and directions issued by regulatory authorities and judicial forums, it is proposed to establish a centralised Effluent Treatment Plant (ETP) having a design capacity of 50 KLD for treatment of wastewater generated from the leather processing activities prior to discharge.

The proposed ETP system is intended to ensure:

- compliance with environmental discharge standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986 and CPCB/UPPCB guidelines
- prevention of contamination of nearby surface water bodies and groundwater resources
- establishment of a sustainable wastewater management system for the leather processing cluster
- compliance with directions issued by the Hon'ble National Green Tribunal regarding pollution control in tannery operations

The design capacity of 50 KLD has been adopted considering both the present wastewater generation and potential future expansion of processing activities within the cluster.

2. Pollution Problem Assessment

Leather processing is a water-intensive industrial activity, particularly during the treatment of raw animal hides and skins. Wastewater is generated during several stages of the tanning cycle and contains high concentrations of organic and inorganic pollutants.

In the present cluster, wastewater generation primarily occurs from the following operations:

- Liming and dehairing processes, where lime and sulphide compounds are used for removal of hair and epidermal layers from hides
- Washing and rinsing of hides during different stages of processing
- Tanning operations using natural tannin extracts derived from acacia bark
- Bleaching and finishing processes
- Cleaning of work areas and processing floors

3. Chemical Characteristics of Leather Processing Wastewater

The wastewater characteristics observed in the present cluster are typical of small-scale traditional tanning operations involving processing of animal hides. The effluent characteristics presented in the following table are based on data regarding wastewater quality and operational practices provided by the Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Rural Development Agency (DRDA) during the technical assessment of the leather processing units in the cluster.



(Handwritten signature)

Parameter	Raw Effluent Characteristics (Typical Range)	Expected Treated Effluent After Treatment	Remarks
pH	9 - 11	6.5 - 8.5	Neutralisation required due to alkalinity from liming process
BOD	1500 - 3000 mg/L	< 30 mg/L	Reduction achieved through biological aeration treatment
COD	3500 - 6000 mg/L	< 250 mg/L	Removal through combined biological and tertiary treatment
Total Suspended Solids (TSS)	800 - 2000 mg/L	< 100 mg/L	Settling in clarifiers and filtration
Total Dissolved Solids (TDS)	2000 - 6000 mg/L	2000 - 4000 mg/L (approx.)	TDS reduction limited in conventional ETP
Sulphides	50 - 200 mg/L	< 2 mg/L	Oxidation and biological treatment remove sulphides
Oil & Grease	50 - 150 mg/L	< 10 mg/L	Removed through settling and biological treatment
Tannins	100 - 500 mg/L	< 50 mg/L	Adsorption through activated carbon filtration

The high concentrations of organic load, suspended solids, sulphides and tannins require the adoption of a multi-stage treatment system comprising physical separation, chemical conditioning and biological oxidation processes for effective treatment of the tannery effluent.

4. Design Basis and Pollution Load Estimation

The design basis for the proposed Effluent Treatment Plant (ETP) has been established considering:

- the wastewater characteristics of tannery effluent generated from processing of animal hides
- the quantity of hides processed within the cluster
- wastewater generation data provided by the concerned departments
- applicable discharge standards prescribed by CPCB and UPPCB.

The design parameters and pollution load estimation presented in the following table have been developed on the basis of technical data and indicative wastewater characteristics made available by the Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Rural Development Agency (DRDA) during the preparation of this proposal.

Since detailed wastewater sampling and laboratory analysis specific to each processing unit have not yet been carried out, the design values adopted for the present proposal are tentative and based on available departmental data and standard characteristics of tannery effluent. These parameters may require further refinement and adjustment after detailed technical evaluation, sampling and testing of wastewater during the detailed engineering stage of the.

Accordingly, the pollution load estimates and treatment design presented herein may be reviewed and finalised during the detailed design and commissioning stage of the proposed ETP, based on actual wastewater quality and flow conditions observed at site.

Sl. No.	Design / Pollution Parameter	Unit	Concentration / Value	Pollution Load (kg/day)	Remarks
1	Present wastewater generation	KLD	30 - 35	—	Existing wastewater generated from tannery cluster
2	Proposed ETP design capacity	KLD	50	—	Capacity kept higher to accommodate future increase
3	Operating hours of plant	Hours/day	8 - 10	—	Based on daily processing cycle
4	Treatment objective	—	Compliance with CPCB / UPPCB standards	—	For discharge into inland surface water bodies
5	Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	2000	100	Organic pollution load generated from hide processing
6	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	4500	225	Indicates total oxidisable organic matter
7	Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	1200	60	Solids from hides, lime sludge and organic particles
8	Sulphides	mg/L	100	5	Generated during liming and dehairing operations
9	Oil & Grease	mg/L	100	5	Natural fats released during hide washing



5. Treatment Units, Design Criteria and Expected Performance

The proposed treatment system has been conceptualised for treatment of tannery effluent containing organic matter, sulphides, suspended solids and tannin compounds typically generated during processing of animal hides in traditional leather processing units. The treatment scheme incorporates preliminary, primary, biological and tertiary treatment stages in order to achieve the required effluent quality in accordance with applicable environmental standards prescribed by CPCB and UPPCB.

The selection of treatment units and design criteria has been developed on the basis of indicative wastewater characteristics and operational data made available by the Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board and the District Rural Development Agency (DRDA) for the leather processing cluster.

Since detailed wastewater sampling and unit-wise effluent analysis have not yet been undertaken for all processing units, the treatment configuration and design criteria presented in this proposal are tentative and based on standard engineering practices applicable to tannery wastewater treatment. These parameters may require further optimisation and refinement during the stage of detailed engineering design, sampling and performance evaluation of the effluent.

The combination of aerobic biological treatment, clarification and tertiary filtration is expected to provide effective reduction of BOD, COD, suspended solids, sulphides and colour associated with tannin compounds, thereby enabling the treated effluent to comply with prescribed environmental discharge standards after final optimisation during plant commissioning.

Sl. No.	Unit	Purpose	Reason for Inclusion in Tannery ETP	Minimum Detention Time / Design Criteria	Typical Treatment Efficiency
1	Bar Screen Chamber	Removal of hair and coarse solids	Prevents clogging of pumps and pipelines	5-10 minutes	Removes ~5-10% suspended solids
2	Oil & Grease Trap	Separation of fats and grease	Hides release natural oils during washing	20-30 minutes	Removes ~60-80% oil and grease
3	Equalisation Tank	Flow balancing	Stabilises wastewater characteristics before treatment	6-8 hours	Provides uniform flow and load to downstream units
4	Sulphide Oxidation / Pre-Aeration Tank	Oxidation of sulphides	Reduces odour and toxicity before biological treatment	1-2 hours	Removes ~70-90% sulphides
5	Neutralisation Tank	pH correction	Liming wastewater is highly alkaline	30-60 minutes	Adjusts pH to 6.5-8.5
6	Primary Clarifier	Settling of solids	Removes lime sludge and suspended particles	2-3 hours	Removes ~50-60% TSS and ~20-30% BOD
7	Aeration Tank	Biological degradation	Main treatment unit for organic pollution	18-24 hours	Removes ~85-90% BOD and COD
8	Secondary Clarifier	Sludge separation	Settling of biological solids	2-3 hours	Removes ~90-95% suspended biological solids
9	Pressure Sand Filter + Activated Carbon Filter	Tertiary treatment	Removes fine solids and colour from tannins	Filtration rate 10-15 m ³ /m ² /hr	Removes remaining TSS and colour; improves final effluent quality

6. Cost and Land Requirement Summary

Technology Basis

The proposed treatment system is based on Conventional Biological Treatment using Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) technology followed by Pressure Sand Filtration and Activated Carbon Filtration. MBBR technology is selected due to its operational stability and suitability for treating wastewater generated from processing of animal hides containing high organic load and sulphides. The major technology cost component therefore relates to MBBR media, aeration systems and associated mechanical equipment, rather than electrical automation systems.

Proposed 50 KLD Effluent Treatment Plant for Traditional Leather Processing Cluster)



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Sl. No.	Major Component	Estimated Cost (₹ Lakh)	Engineering Scope	Cost Basis / Technology Justification
1	Civil infrastructure for treatment units including equalisation basin, sulphide oxidation tank, neutralisation tank, aeration basin, clarifier structures and sludge drying beds	95.00	RCC tanks and structural works for hydraulic retention and biological treatment	Estimated based on approx. 600-650 m ³ RCC construction including equalisation (~150 m ³), aeration basin (~300 m ³) and clarifiers (~6 m dia). RCC construction rate assumed = ₹13,000-14,000 per m ³ including reinforcement and shuttering.
2	Mechanical treatment technology and biological process equipment including pumps, aeration blowers, MBBR media system, clarifier mechanisms, pressure sand filter, activated carbon filter and sludge filter press	75.00	Biological treatment and tertiary polishing system	Major cost component includes MBBR carrier media, aeration blowers, diffuser system, filtration units and sludge dewatering equipment. MBBR technology is adopted for stable biological treatment of tannery effluent containing high organic load and sulphides. Media filling typically represents a significant portion of technology cost.
3	Electrical system, instrumentation and internal piping required for plant operation	35.00	Electrical panels, cabling and plant utilities	Includes MCC panel, electrical starters for pumps and blowers, basic instrumentation and internal piping. Cost reduced to ~12-14 % of total plant cost as automation requirements for small ETPs are limited.
4	Engineering investigation, wastewater sampling, laboratory analysis and preparation of final design calculations forming the basis of ETP design	5.00	Survey, testing and design documentation	Includes wastewater sampling, laboratory analysis of BOD, COD, sulphides and TSS, preparation of engineering design and drawings. Typically 2-2.5 % of total project cost.
	Total	210.00		

7. Land Required

Sl. No.	Treatment Unit	No. of Units	Typical Size (Approx.)	Area Requirement (sq. m.)	Remarks
1	Inlet Chamber with Screen & Oil-Grease Trap	1	4 m × 3 m × 2 m	40	Removal of hair particles, grease and coarse solids from tannery wastewater
2	Equalisation Tank with Mixing & Sulphide Oxidation	1	8 m × 5 m × 3 m	220	Flow balancing and oxidation of sulphides generated during liming process
3	Neutralisation Tank	1	5 m × 4 m × 3 m	25	Adjustment of pH prior to biological treatment
4	Aeration Tank (Biological Treatment - ASP/MBBR)	1	10 m × 6 m × 4 m	240	Biological degradation of organic pollutants (BOD/COD)
5	Secondary Clarifier	1	Dia. 5-6 m. Depth 3 m	40	Settling of biological sludge
6	Tertiary Treatment Units (PSF + Activated Carbon Filter)	2	2 m dia filters	45	Removal of residual solids, colour and tannins
7	Sludge Thickener & Sludge Drying Beds	1 set	Thickener dia. 4 m; Beds 10 m × 8 m	150	Sludge thickening, dewatering and drying
8	Pump House, Electrical Room & Utilities	1	6 m × 4 m	40	Pumps, control panels and plant utilities
9	Internal Roads, Maintenance Space & Circulation Area	—	—	200	Required for plant operation and equipment access
	Total Required			1000m²	



8. Project Execution Timeline

Sl. No.	Activity	Estimated Time Required	Remarks
1	Preliminary survey, wastewater sampling and DPR preparation	1 month	Site inspection and preparation of technical report
2	Administrative approval and financial sanction	2 months	Approval from competent authority and allocation of funds
3	Tender preparation and contractor selection	2 months	Issue of tender, evaluation of bids and award of work
4	Detailed engineering design and drawings	1 month	Structural design and preparation of layout drawings
5	Civil construction of ETP structures	8-9 months	Construction of tanks, clarifiers, sludge drying beds, pump house and allied works
6	Supply and installation of mechanical equipment	1-2 months	Installation of pumps, blowers, filters and sludge handling equipment
7	Electrical installation and instrumentation	1 month	Installation of control panels, cabling and monitoring systems
8	Trial run and commissioning	1 month	Testing and stabilization of treatment process

The implementation of the proposed project will involve sequential stages including planning, engineering design, civil construction, installation of mechanical and electrical equipment and commissioning of the treatment system.

Based on the scope of work and construction requirements, the estimated implementation period for the project is approximately 15 months.

[Signature]
 Executive Engineer
 Construction Division
 U.P. Jal Nigam (Urban)
 Meerut

[Handwritten signature]





कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक: 6902/प्रदूषण/एनजीटी/2026

दिनांक- 21-03-2026

प्रेषक,

जिलाधिकारी
मेरठ।

सवा में,

प्रमुख सचिव,
ग्राम्य विकास,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की विशेष परियोजना के अंतर्गत ग्राम डूंगर विकास खण्ड रोहटा जिला मेरठ में स्थापित/संचालित स्वयं सहायता समूह नामक चर्मशोधन परिसर से चर्मशोधन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) स्थापित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवासी ग्राम पूठखास विकास खण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ०प्र० (मो०न०-9758924496) द्वारा मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक 31-07-2025 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक- 05-02-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत हैं-

6. Thus, we find that on the one hand, the Respondent No. 3 is not taking any steps to solve the environmental issue involved in the matter and, on the other hand, instead of filing the reply he is seeking further adjournment of three months.
7. It has been pointed out that since the District Magistrate, Meerut was not responding, therefore, the UP PCB vide communication dated 04.11.2025 (page 109) had made a request to the District Magistrate, Meerut seeking compliance of the order dated 22.03.2013
8. In such circumstances, we require the District Magistrate, Meerut to appear virtually on the next date of hearing and furnish an explanation as to why he is not taking any action in compliance of the order and communication of the UP PCB.
9. It is noticed that the DRDA is not properly impleaded and its description in the cause title as 'DRDO' is incorrect.
10. Hence, the Applicant is permitted to correct description of the Respondent No. 5 and take fresh steps to serve the said the Respondent....."

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की विशेष परियोजना के अंतर्गत खसरा संख्या-630 एवं 631, ग्राम पूठखास, डूंगर विकास खण्ड रोहटा जिला मेरठ में स्वयं सहायता समूह नामक चर्मशोधन परिसर की स्थापना हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्र दिनांक 27-03-2003 द्वारा चर्मशोधन प्रक्रिया हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित किया गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने एवं प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह बिना शुद्धीकरण के सीधे खेतों में डाले जाने आदि के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के क्रम में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एफ 20991/सी-3/एनओसी-20/मेरठ/पंटी/13 दिनांक-22/03/2013 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, यथासंशोधित में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उक्त समूह/इकाई के विरुद्ध बंदी आदेश निर्गत किया गया था। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली



(Handwritten Signature)

में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवारी ग्राम पूठखास विकास खण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ०प्र० (मा०नं०-9758924496) द्वारा मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक- 31-07-2025 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14-08-2025 के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24-10-2025 को किया गया तथा अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से शपथ पत्र मा० अधिकरण में दिनांक-10-11-2025 को दाखिल किया गया। अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच 34202/सी-3/ओ०ए०नं० 414/2025 दिनांक-04-11-2025 द्वारा इकाई के विरुद्ध जारी बंदी आदेश दिनांक-22-03-2013 का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 19-12-2025 द्वारा उक्त समूह/इकाई को बंद कराये जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन किया गया।

मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल, मे० की सबाधित पत्र दिनांक 20-01-2026 द्वारा कुटीर उद्योग को बचाये जाने हेतु दिये गये अनुरोध पत्र के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत तिथि 05-2-2026 को इकाई के संचालन से जनित प्रदूषण की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु तथा योजित उक्त वाद में जिलाधिकारी, मेरठ की ओर से एफीडेविट दाखिल किये जाने हेतु 04 माह का समय दिलाने हेतु पत्र दिनांक-02-03-2026 शासकीय अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त आ०ए० संख्या में पारित आदेश दिनांक 05-02-2026 द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी, मेरठ को व्यक्तिगत रूप से स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त इकाई में लगभग 150 अत्यन्त गरीब परिवार कार्य करते हैं तथा उनकी जीविका का एक मात्र साधन चर्मशोधन कार्य है। मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त चर्मशोधन व्यवसाय को बचाने हेतु ई०टी०पी० की स्थापना कराये जाने का सुझाव दिया है। उपरोक्त कार्य में लगे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं तथा मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा भी इससे सम्बन्धित परिवारों को सहायता करने/सहायता प्रदान करने हेतु बल दिया जा रहा है।

उक्त इकाई/समूह से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) स्थापित किये जाने हेतु डी०पी०आर०/प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिजाईन डिटेल, ईटीपी हेतु वांछित भूमि की आवश्यकता एवं ई०टी०पी० स्थापित होने में प्रस्तावित व्यय एवं निर्माण हेतु निर्धारित समय का समावेश करते हुये) तैयार किये जाने हेतु पत्रांक 2007 दिनांक-10-03-2026 द्वारा अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, नगरीय मेरठ को निर्देशित किया गया। कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) मेरठ के पत्रांक-153/विधि सामान्य/21 दिनांक-19/03/2026 द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) का प्रस्ताव प्राप्त कराया गया। उक्त के अनुसार ई०टी०पी० की अनुमानित लागत 210.00 लाख है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि ग्राम डूंगर, रोहटा, जनपद मेरठ में उक्त परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से संचालित मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी के माध्यम से किये जा रहे चर्मशोधन कार्य से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चर्मशोधन इकाइयों हेतु निर्धारित जल प्रदूषणकारी प्रचालक/मानक के अनुरूप शोधन हेतु प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) की स्थापना हेतु अनुमानित लागत 210.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण में मा० एन०जी०टी० न्यायालय, नई दिल्ली में सुनवाई के लिए आगामी तिथि 2-4-2026 निर्धारित है।

सलगनक-उपरोक्तानुसार।



भवदीय,
21-03-2026
(डा० वी०के० सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में शासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र अग्रोत्तर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें।
2. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को उपरोक्तानुसार अग्रोत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

21.03.26

(डा० वी०के० सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।





कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट / जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक: 6903 / प्रदूषण / एनजीटी / 2026

दिनांक- 21-03-2026

प्रषक,

जिलाधिकारी
मेरठ।

सवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र० शासन,
लखनऊ।

विषय: जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की विशेष परियोजना के अंतर्गत ग्राम डूंगर विकास खण्ड रोहटा जिला मेरठ में स्थापित/संचालित स्वयं सहायता समूह नामक चर्मशोधन परिसर से चर्मशोधन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) स्थापित किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महादया,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवासी ग्राम पठखास विकास खण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ०प्र० (मो०नं०-9758924496) द्वारा मे० हापुडिया प्राससिंग लेंदर सासाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक 31-07-2025 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक- 05-02-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका कि प्रकाश अंश निम्नवत है-

6. Thus, we find that on the one hand, the Respondent No. 3 is not taking any steps to solve the environmental issue involved in the matter and, on the other hand, instead of filing the reply he is seeking further adjournment of three months.
7. It has been pointed out that since the District Magistrate, Meerut was not responding, therefore, the UP PCB vide communication dated 04.11.2025 (page 109) had made a request to the District Magistrate, Meerut seeking compliance of the order dated 22.03.2013.
8. In such circumstances, we require the District Magistrate, Meerut to appear virtually on the next date of hearing and furnish an explanation as to why he is not taking any action in compliance of the order and communication of the UP PCB.
9. It is noticed that the DRDO is not properly impleaded and its description in the cause title as 'DRDO' is incorrect.
10. Hence, the Applicant is permitted to correct description of the Respondent No. 5 and take fresh steps to serve the said the Respondent....."

इस सम्बन्ध में अवगत करना है कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, मेरठ की विशेष परियोजना के अंतर्गत पत्रांक-630 एवं 634 ग्राम पठखास, डूंगर विकास खण्ड रोहटा जिला मेरठ में स्वयं सहायता समूह नामक चर्मशोधन परिसर की स्थापना हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पत्र दिनांक 27-03-2003 द्वारा चर्मशोधन परिसर हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर स्थापित किया गया था। अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया एवं प्रदूषित औद्योगिक उत्प्रवाह बिना शुद्धीकरण के सीधे खेतों में डाले जाने आदि के संबंध में शिवालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एफ 20991/सी-3/एनओसी-20/मेरठ/कटी/13 दिनांक 03/2013 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, यथासंशोधित में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उत्प्रवाह/इकाई के विरुद्ध बंदी आदेश निर्गत किया गया था। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली



(Handwritten signature)

में आवेदक सूरजबली पुत्र श्री काले निवासी ग्राम पूठखास विकास खण्ड रोहटा जनपद मेरठ, उ०प्र० (मा०नं०-9758924496) द्वारा मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ के विरुद्ध दायर याचिका दिनांक- 31-07-2025 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 414/2025 Sooraj Bali V/s State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 14-08-2025 के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा इकाई का निरीक्षण दिनांक 24-10-2025 को किया गया तथा अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से शपथ पत्र मा० अधिकरण में दिनांक-10-11-2025 को दाखिल किया गया। अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एच 34202/सी-3/ओ०ए०नं० 414/2025 दिनांक-04-11-2025 द्वारा इकाई के विरुद्ध जारी बंदी आदेश दिनांक-22-03-2025 का अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित पत्र के क्रम में अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 19-12-2025 द्वारा उक्त समूह/इकाई को बंद कराये जाने हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की समिति का गठन किया गया।

मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी, डूंगर, रोहटा जनपद मेरठ द्वारा आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ को संबोधित पत्र दिनांक 20-01-2026 द्वारा कुटीर उद्योग को बचाये जाने हेतु दिये गये अनुरोध पत्र के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में नियत तिथि 05-2-2026 को इकाई के संचालन से जनित प्रदूषण की रोकथाम की कार्यवाही किये जाने हेतु तथा योजित उक्त वाद में जिलाधिकारी, मेरठ की ओर से एफीडेविट दाखिल किये जाने हेतु 04 माह का समय दिलाने हेतु पत्र दिनांक-02-03-2026 शासकीय अधिवक्ता, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० संख्या में पारित आदेश दिनांक 05-02-2026 द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपरोक्तानुसार जिलाधिकारी, मेरठ को व्यक्तिगत रूप से स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त इकाई में लगभग 150 अत्यन्त गरीब परिवार कार्य करते हैं तथा उनकी जीविका का एक मात्र साधन चर्मशोधन कार्य है। मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त चर्मशोधन व्यवसाय को बचाने हेतु ई०टी०पी० की स्थापना कराये जाने का सुझाव दिया है। उपरोक्त कार्य में लगे परिवार आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं तथा मा० राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं मा० राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा भी इससे सम्बन्धित परिवारों को सार्वभूमि करने/सहायता प्रदान करने हेतु बल दिया जा रहा है।

उक्त इकाई/समूह से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) स्थापित किये जाने हेतु डी०पी०आर०/प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिजाइन डिटेल्, ईटीपी हेतु वांछित भूमि की आवश्यकता एवं ई०टी०पी० स्थापित होने में प्रस्तावित व्यय एवं निर्माण हेतु निर्धारित समय का समावेश करते हुये) तैयार किये जाने हेतु पत्रांक 2007 दिनांक-10-03-2026 द्वारा अधिशासी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, नगरीय मेरठ को निर्देशित किया गया। कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), मेरठ के पत्रांक-153/विधि सामान्य/21 दिनांक-19/03/2026 द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) का प्रस्ताव प्राप्त कराया गया। उक्त के अनुसार ई०टी०पी० की अनुमानित लागत 210.00 लाख है।

अवगत कराना है कि उक्त स्थल पर लगभग 150 परिवार कार्य करते हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनुसूचित जाति से संबंधित हैं। जनपद में इस प्रकृति के कार्य करने वालों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा संरक्षित किये जाने पर बल दिया जाता है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि ग्राम डूंगर, रोहटा, जनपद मेरठ में उक्त परिवारों द्वारा सामूहिक रूप से संचालित मै० हापुडिया प्रोसेसिंग लेदर सोसाइटी के माध्यम से किये जा रहे चर्मशोधन कार्य से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत चर्मशोधन इकाइयों हेतु निर्धारित जल प्रदूषणकारी प्रचालक/मानक के अनुरूप शोधन हेतु प्रस्तावित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र (ई०टी०पी०) की स्थापना हेतु अनुमानित लागत 210.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें, जिससे कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। यहाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरण में मा० एन०जी०टी० न्यायालय, नई दिल्ली में सुनवाई के लिए आगामी तिथि 2-4-2026 निर्धारित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



भवदीय,
21-03-2026
(डा० वी०के० सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

प्रतिलिपि-

1. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त प्रकरण में शासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र अग्रततर कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि शासन से समन्वय स्थापित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराएँ, ताकि मा० एन०जी०टी० न्यायालय को वस्तुस्थिति से ससमय अवगत कराया जा सके।

(डा० वी०के० सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

1



सेवा में,

श्रीमान मण्डल आयुक्त महोदय,
मेरठ मण्डल मेरठजिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
मेरठविषय- सोशायटी एवं कामगारों को शासन द्वारा लाईसेन्स जारी करने के पश्चात
स्वाभाविक/प्राकृतिक रूप से हाईड्स एवं मृत गोवंश चर्म शौधन कुटीर उद्योग को
स्थानीय पुलिस एवं असामाजिक तत्वों द्वारा शोषण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,


निवेदन यह है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में ग्राम डूंगर वि०खण्ड रोहटा थाना रोहटा तहसील मेरठ में स्थित चर्म शौधन कार्य हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा का 30 प्रतिशत तथा केन्द्रीय सरकार के द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मेरठ (DRDA) द्वारा चर्मशौधन कार्यशाला का स्थापित किया गया था जिसका संचालन हापुडिया लैडर प्रोसेसिंग सौसाइटी रजि० द्वारा किया जाता रहा है तथा स्थानीय चर्मशौधन मजदूर उपरोक्त सौसाइटी के सदस्य होने के कारण अपना चर्मशौधन का कुटीर उद्योग करत हैं। समस्त सदस्य/कुटीर उद्योग करने वाले अनुसूचित जाति(जाटव) वर्ग से है। उपरोक्त सौसाइटी के सदस्यों एवं मजदूरों द्वारा अपना कुटीर उद्योग का कार्य GST तथा MSME में पंजीकृत होने पर पूरे भारतवर्ष की चमड़ा मण्डी एवं आढ़तों तथा मुर्दा मवेशी ठेकेदारों से पक्के बिलों से स्वाभाविक/प्राकृतिक रूप से मृत हाईड्स (चमड़ा) एवं गोवंश चर्म खरीद कर उपरोक्त चर्मशौधन कार्यशाला में चर्मशौधन का कुटीर उद्योग करते हैं। उपरोक्त चर्मशौधन के पश्चात तैयार चर्म खेलों के समस्त सामान निर्माताओं को पक्के बिलों पर विक्रय किया जाता है। उपरोक्त समस्त कुटीर उद्योग वैधानिक एवं नियमानुसार किया जा रहा था परन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम 112 नं० पर भ्रामक एवं गलत सूचना प्रेषित कर स्थानीय पुलिस थाना रोहटा एवं PCR वैन को बुलाकर उपरोक्त चर्मशौधन कार्यशाला पर हंगामा एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण थानाध्यक्ष थाना रोहटा मेरठ को गत दिवस अपने कुटीर उद्योग से सम्बन्धित समस्त पंजीकरण एवं खरीद विक्रय के दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये गये थे परन्तु असामाजिक तत्वों पर कोई प्रभाव नहीं पडा। उपरोक्त चर्मशौधन कार्यशाला पर स्वाभाविक/प्राकृतिक मृत पशुओं का चमड़ा आता है या चर्मशौधन के पश्चात तैयार चमड़ा जाता है उस समय गाडी ड्राइवर्स को तथा उपरोक्त कुटीर उद्योग करने वालों को थाना रोहटा मेरठ पर तैनात अनिल पाण्डे (एस०आई०), मौ०नं० 7009777527, महोदय भददी-भददी गालियां देता है तथा चर्मशौधन कार्यशाला में आकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाकर प्रताडित करता है जिस कारण चर्मशौधन कुटीर उद्योग करने वालों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया तथा चर्मशौधन कार्य बन्द करा दिया गया है।

पसं०-1454/PA-26

D.M. Meerut


मेरठ मण्डल, मेरठ
21/1/26

COMPL




सचिव

हापुडिया लैडर प्रोसेसिंग सोसाइटी
ग्राम-डूंगर जि० मेरठ (उ०प्र०)

उपरोक्त कुटीर उद्योग के अन्तर्गत चर्मशोधन कार्य हेतु उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग अधिनियम 1999 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 15,1999) के खण्ड उद्देश्य और कारण बिन्दू संख्या 1 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह व्यवस्था है कि गायों से प्राप्त किये जा सकने वाले आर्थिक लाभों के बारे में लाभों को शिक्षित करने, अभियान चलाने और उन्हें जागरूक करने, गामीण क्षेत्रों में गाय के दूध, गाय के गोबर, गौ मूत्र, बैलों के भार भाहक शक्ति और गाय के बॉयों गैस उत्पादन द्वारा उर्जा उत्पादन पर आधारित और स्वाभाविक एवं प्राकृतिक रूप से मृत गाय के चमड़े एवं हड्डियों पर आधारित कुटीर उद्योगों की स्थापना के लिये योजना बनाने, जैविक खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना का बढावा देने, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 और उत्तर प्रदेश गौशाला अधिनियम 1964 के उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य में गौ सेवा आयोग की स्थापना की गयी है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त कुटीर उद्योग (चर्मशोधन) का कार्य करने वालों का उत्पीडन करने वाले असामाजिक तत्वों एवं अनिल पाण्डे (एस०आई०) के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर उत्पीडन रोकने एवं चर्मशोधन कुटीर उद्योग को पुनः शुरू करवाने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक- 20.10.2026

प्रार्थी

सचिव

सचिव
हापुडिया लैदर प्रोसेसिंग सोसाइटी
ग्राम-झूंगर जि० मेरठ (उ०प्र०)

मै० हापुडिया लैदर प्रोसेसिंग सोसायटी रजि०
ग्राम झूंगर पोस्ट पूठ खास वि० क्षेत्र रोहटा
थाना रोहटा, जिला मेरठ
मौ० नं० 7088182042



(Handwritten signature)